उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2020)

THE UTTAR PRADESH SPECIAL SECURITY FORCE ACT, 2020

(U.P. Act No. 27 of 2020)

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग–6 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में 31 अगस्त, 2020 को सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु विनिर्दिष्टि रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल जहां इसे अभिनियोजित किया जायेगा, का गठन तथा विनियमन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 6 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''समादेष्टा'', ''उप समादेष्टा'' और ''सहायक समादेष्टा'' का तात्पर्य ऐसे व्यरक्तियों से है जो विशेष सुरक्षा बल का गठन किये जाने पर या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त हों;

(ख) ''पुलिस महानिदेशक'' का तात्पार्य ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त हों ;

(ग) ''अधिष्ठान'' का तात्पर्य शैक्षिक, वाणिज्यिक, मनोरंजन सम्बन्धी, परोपकारी और सांस्कृतिक प्रयोजनों हेतु कार्य करने वाले किसी संगठन के मामलों में प्रयुक्त किये जा रहे किसी सार्वजनिक या निजी भवन, भू–गृहादि या परिसर से है जिसमें कोई जन समूह स्थल या कोई सामूहिक अभिवहन तन्त्र सम्मिलित है , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(घ) ''बल'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल से है;

(ङ) ''औद्योगिक उपक्रम'' का तात्पर्य किसी अनुसूचित उद्योग, [उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा–3 के खण्ड (एक) में यथा परिभाषित] से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी उपक्रम से है जिसमें किसी अन्य् उद्योग या किसी व्यापार, व्यवसाय या सेवा में संलग्न कोई उपक्रम सम्मिलित है जो संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि के माध्यम से विनियमित हो ;

(च) ''प्रतिष्ठापन'' का तात्पर्य किसी संगठन के मामले में प्रयुक्त किये जा रहे किसी मूर्ति, स्मारक, भवन, भू–गृहादि या परिसर से है जिसमें कार्यालय सम्बद्ध भवन, आवासीय क्षेत्र और उस भू–गृहादि या परिसर में विद्यमान उस संगठन की सम्पत्ति सम्मिलित है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(छ) ''बल का सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बल में नियुक्ति हो;

(ज) ''निजी'' का तात्पार्य ऐसे किसी प्रतिष्ठान या अधिष्ठान से है जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके अभिकरणों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या व्यवस्थित हो;

(झ) ''अधीनस्थ अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बल में निरीक्षक या उप निरीक्षक रैंक में नियुक्त हो;

(ञ) उक्त बल के किसी अधिकारी के संबंध में ''पर्यवेक्षण अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे किसी रैंक के अधिकारी से है जो ऐसे अधिकारी से उच्चतर रैंक के रूप में विहित हो;

(ट) ''उत्तंर प्रदेश पुलिस'' का तात्पर्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य के बल से है ;

(ठ) ''उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सशस्त्र रक्षीदल अधिनियम, 1948 के अधीन गठित बल से है;

(ड) ''उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड'' का तात्पार्य शासनादेश संख्यार–1256/6–पु–10–2008–27(7)/08 द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नाति के लिए गठित बोर्ड से है ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड, संहिता, 1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उसमें क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

बल का गठन

3–(1) किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्यं सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0 उच्च न्यांयालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्याायालयों, राज्या सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय परिसर, पूजा स्थलों, मेट्रोरेल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य, वित्तीकय संस्थाओं, औद्योगिक उपक्रमों और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य, प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों सहित सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नामक बल का गठन तथा उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

(2) उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जायेगा और उसमें ऐसी संख्या में पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी तथा उक्त बल के ऐसे नामांकित सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(3) बल के सदस्यगण यथा विहित वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(4) बल की संरचना, वाहिनियों की संख्याा तथा प्रत्येक वाहिनी की संरचनात्माक सदस्य संख्या वही होगी जैसा कि विहित किया जाय। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण में पांच वाहिनियां और अग्रतर यथाविहित ऐसी वाहिनियां भी गठित की जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और उसके अधीनस्थ कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ

4–(1) राज्य् सरकार किसी व्यक्ति को बल का अपर महानिदेशक और अन्य व्यक्तियों को महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, समादेष्टा, उपसमादेष्टा और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जैसा कि अपेक्षा की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अपर महानिदेशक और प्रत्येक अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के पास ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसी शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित हों।

बल के लिये भर्ती

5–बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जायेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि धारा 17 के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित किया जाय, जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा बनायी गयी सामान्य नियमावली के अनुसार होगी।

बल का अधीक्षण और प्रशासन

6–बल का अधीक्षण इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धोां के अध्यधधीन पुलिस महानिदेशक में निहित होगा और बल का समादेश, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन, धारा 4 में निर्दिष्ट अपर महानिदेशक में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों् के अध्यधीन ऐसी स्थानीय सीमाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बल का प्रशासन, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा और व्यक्ति (व्यक्तियों) के निकाय तथा/या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, ऐसे किसी निदेश, जो राज्य सरकार या अपर महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्रदान किया जा सकता है, के अध्यधीन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा तथा सुरक्षा के प्रभार में रखे गये प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों् के अध्यधीन जिला पुलिस अधीक्षक को बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के समन्वय में उसकी अधिकारिता के भीतर बल की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।

निजी अधिष्ठानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बल का अभियोजन

7–ऐसे किन्हीं सामान्य निदेशों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, के अध्यधीन किसी निजी औद्योगिक अधिष्ठान या किसी अन्य निजी क्षेत्र के अधिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ऐसे अधिष्ठान को ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क संदाय पर, जैसा कि विहित किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए बल के सदस्यों को निदेश देना पुलिस महानिदेशक के लिए विधि सम्मत होगा।

बल के सदस्यों के कर्तव्य

8–बल के प्रत्येक सदस्य का निम्नलिखित कर्तव्य होगा,

(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विधि सम्मत रूप से जारी किये गये समस्त आदेशों का पालन करना और निष्पादन करना;

(ख) किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य न्याायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा करना;

(ग) खण्डं (ख) में निर्दिष्ट अधिष्ठानों के कर्मचारियों की संरक्षा तथा रक्षोपाय करना;

(घ) ऐसे किसी अन्य कर्तव्यों का निष्पाादन करना, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपा जाय।

बल का संवर्धन

9–किसी मामले में अभिनियोजन के दौरान बल को संवर्धित किये जाने के प्रयोजनार्थ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, बल के समन्वय में प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल अभिनियोजित करा सकते हैं।

बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति

10–(1) बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेरट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है–

(क) जो धारा 8 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी या बल के किसी अन्य् सदस्यों को यथास्थिति ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से उसे रोकने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का विधि सम्मरत रूप में निर्वहन करने में उसके द्वारा कृत या किये गये प्रयास के फलस्वरूप जानबूझकर उपहति करेगा या उपहति करने का प्रयास करेगा या सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध कारित करने का प्रयास करेगा या हमला करेगा, हमला करने की धमकी देगा या अपराधिक बल का प्रयोग, धमकी देने या धमकी देने का प्रयास करने के लिए करेगा;

(ख) जो धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिष्ठानों या सम्बन्धित अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित या उनके परिसर की सम्पत्ति या उसके प्रभार के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों के परिसर की सम्पत्ति से सम्बद्ध रहा हो या जिसके विरुद्ध उसमें उसके सम्बद्ध होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों, जिसके निमित्त यह विश्वास

करने का कारण उत्पन्न होता हो कि वह तत्संबंध में संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसी सावधानियां बरत रहा है, के अधीन अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां बरतते हुए पाया गया हो;

(ग) जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिष्ठानों से सम्बन्धित कोई कार्य करने में संलग्न किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति खतरा अंतर्वलित हो या अंतर्वलित होना संभाव्य हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिष्ठान के परिसर का अतिचार करते हुए पाया जाता है तो उसे ऐसे किसी अन्य कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसर से हटाया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।

वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति

11–(1) जब कभी बल के किसी सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 10 में निर्दिष्ट कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि अपराधी को निकल भागने का, या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब वह उक्त अपराधी को निरुद्ध कर सकता है और तत्काल उसकी एवं उसके माल–असबाब की तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का तलाशियों से सम्बन्धित उपबन्ध, इस धारा के अधीन आवश्यक परिवर्तन सहित तलाशियों के लिए प्रयुक्त होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।

गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

12–इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करने वाले बल के किसी सदस्य को अविलम्ब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुई रिपोर्ट के साथ निकटस्थ पुलिस थाना पर ले जायेगा अथवा ले जाने की व्यवस्था करेगा।

बल के सदस्य सदैव ड्यूटी माने जायेंगे और राज्य में कहीं भी नियोजित किये जा सकेंगे

13–(1) बल का प्रत्येक सदस्य, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सदैव ड्यूटी पर माना जायेगा और राज्य के भीतर किसी स्थान पर किसी भी समय नियोजित किये जाने योग्य होगा।

(2) बल का कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने ड्यूटी से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में स्वयं संलग्न नहीं होगा।

सेवा की निबंधन एवं शर्तें

14–बल का प्रत्येक सदस्य समस्त अधिनियमों, सुसंगत अनुशासन व अपील नियमावलियों, आचरण नियमावलियों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के सदस्यों के लिए यथाप्रयोज्य सेवा की समस्त निबंधन एवं शर्तों को शासित करने वाली समस्त अन्य नियमों तथा शासनादेशों के अध्यधीन होगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

15–इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए बल के किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन बल के किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं किया जायेगा।

अपराध का संज्ञान

16–राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में कृत किसी बात या कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी कार्यवाही के संबंध में कोई न्यायालय बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में समस्त या कोई मामला उपबन्धित हो सकता है, अर्थात्–

(क) बल के सदस्यों के वर्गों, रैंकों, ग्रेडों, वेतन और पारिश्रमिक तथा बल में उनकी सेवा शर्तों और भर्ती को विनियमित करना;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और उनके कर्तव्यों को विनियमित करना;

(ग) ऐसी रीति को विहित करना जिसमें अधिष्ठापन तथा आधारभूत प्रशिक्षण और सेवा विशिष्टीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना हो;

(घ) आयुधों, साजसज्जा, वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, बल के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले यानों, उपस्करों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों के प्रकार तथा उनकी मात्रा को विहित करना;

(ङ) बल के सदस्यों के आवास स्थलों को विहित करना;

(च) जांच आयोजित करने और दण्ड की प्रक्रिया को विहित करना और ऐसे प्राधिकारियों को विहित करना, जिन्हें दण्डो के आदेशों से अपील की जा सकती है और ऐसे अपील के निस्तारण के लिए अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया;

(छ) ऐसी रीति, जिसमें और ऐसा शुल्क जिसका संदाय किये जाने पर निजी संगठनों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

18–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्यी सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे आवश्यक उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति

19–(1) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अधिसूचित व्यक्तियों की, केन्द्र तथा अन्य राज्यों की भांति, सुचारु एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में कोई विशेष सुरक्षा बल गठित नहीं है। इन स्थलों एवं व्यक्तियों की सुरक्षा करने का कार्य, पुलिस व उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 बल द्वारा किया जा रहा है, जो इस कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित व कुशल नहीं हैं। अतएव राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के प्रयोजन से और जनहित याचिका संख्या 2436/2019 इन री सुवो मोटो रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एण्ड प्रोटेक्शन इन आल कोर्ट कैम्पसेज इन द स्टेट आफ यू0पी0 बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (P.I.L. No. 2436/2019 In Re Suo Moto Relating To Security And Protection In All Court Campuses In The State Of U.P. *Vs.* State of U.P.) में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाये।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।